माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C copy

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755), 2551650, 2751567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552051

क्रमांक / 608 / डी.एड.सेल / 2014 भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
केयर कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
प्लॉट / खसरा नं.–1980 / 1,
महोबा रोड़, सहनिया, पो. सहनिया,
ज़िला–छतरपुर (म.प्र.)–471001

विषय:– डी.एड. नवीन संवद्धता सत्र 2014–15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:– आपके द्वारा प्रस्तुत संवद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 06.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबंद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :–

1 संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000 / – के दो चालानों दिनांक 15.04.2013 एवं 16.08.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000 / – के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013–14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 371 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र. –586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000 / – का चालान अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000 / –के चालन की मूलप्रति दिनांक 05.04.2014 तक अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबंद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 609 / डी.एड.सेल / 2014 भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

प्रतिलिपिः–

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, सागर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या.– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

O/C COPY

क्रमांक / 610 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

प्राचार्य / संचालक
स्वामी विवेकानन्द एज्यूकेशन कॉलेज,
खसरा नं.–2664 / 11, प्लॉट नं.–2664,
ग्राम बागौटा, पो., तह. छतरपुर,
जिला–छतरपुर (म.प्र.)–471001

विषय:– डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 हेतु संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं छायाचित्र में भिन्नता विषयक।

संदर्भ:– आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 23.12.2013 एवं 05.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संस्था में नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं कार्यालयीन स्टाफ की प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर द्वारा हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है। उक्तानुसार संलग्न छायाप्रति के सरल क्र.–07 पर **श्री अरुण पासवान, पुरुष व्याख्याता** का नाम एवं चित्र है। जबकि आपके द्वारा प्रस्तुत संस्था के भवन के समक्ष उपस्थित शैक्षणिक स्टाफ के छायाचित्र में उक्त कर्मचारी का नाम **सुश्री अरुणा पासवान महिला सहायक प्राध्यापक** दर्शाया गया है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि आपके संस्थान द्वारा संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के संबंध में भ्रामक एवं गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के छायाचित्रों को शासकीय स्नात्तकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापित करवाकर सत्यापित सूची की मूल प्रति एवं उक्त विरोधाभाष के संबंध में संस्था का स्पष्टीकरण दिनांक 02.04.2014 तक अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्तानुसार सूची प्रस्तुत न किये जाने पर आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

अति.सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./611 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:–

भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, सागर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अति.सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

E:\ded_cell-2014-15\latter.doc